न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/658

1. बशीर पुत्र मेहता जाति मेव निवासी ग्राम बाझड़ा तहसील तिजारा, जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरीफन पत्नि अब्दुल सुभान जाति मेव निवासी ग्राम पीपाका, तहसील तावडू जिला नूँह हरियाणा।
2. ग्राम पंचायत, ग्वालदा तहसील तिजारा, जिला अलवर जरिये सरपंच।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर निर्णय दिनांक 28.03.2022 अपील संख्या 16/2015 उनवानी सरिफन बनाम ग्राम पंचायत ग्वालदा वगैरहा पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री अरविन्द कुमार पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 21.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 28.03.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने ग्राम पंचायत ग्वालदा पंचायत समिति तिजारा बाबत इंतकाल संख्या 114 वाके ग्राम बाझड़ा के आदेश दिनांक 05.11.2014 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 28.03.2022 द्वारा अपील स्वीकार कर पूर्व में निर्णित इन्तकाल संख्या 114 निर्णय दिनांक 05.11.2024 वाके ग्राम बाझड़ा; ग्राम पंचायत ग्वालदा निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट तहसीलदार टपूकडा को रिमाण्ड कर आदेशित किया गया कि प्रकरण में नबी खां को आराजी विरासत में प्राप्त हुई है एवं विधिक वारिसान की जांच की जाकर विधि सम्मत निर्णय किये जाने के आदेश पारित किये गये।
3. उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 28.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट बशीर पुत्र मेहता द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 28.03.2022 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार किये गये इंतकाल संख्या 114 वाके ग्राम बाझड़ा दिनाक 05.11.2014 के विरुद्ध मियाद बाहर अपील पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना उचित कारण के अपील को अन्दर मियाद मानने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट के पक्ष में नबी खॉ पुत्र घमन्डी जाति मेव ने अपनी चल–अचल सम्पत्ति जिसमें कृषि भूमि व आबादी की जायदाद वाके ग्राम ग्वालदा व बाझड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर की बाबत् दिनाक 22.02.2001 को रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर विधिवत कानून के अनुरुप इंतकाल दर्ज किया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने श्री नबी खॉ द्वारा की गयी वसीयत के आधार पर दर्ज किये गये इंतकाल के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील पेश की थी, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वसीयत को फर्जी होना बताया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट के पक्ष में की गयी वसीयत को निरस्त कराने का वाद सिविल न्यायाधीश तिजारा के न्यायालय में दायर कर रखा है। कानूनन सिविल वाद में वसीयत की सत्यता व वैद्यता की जाँच होनी है। जब तक वसीयत सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की जाती है, तब तक वसीयत प्रभावी मानी जावेगी तथा उसके आधार पर दर्ज किये गये इंतकाल को निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है।

अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 151 जा०दी० का प्रस्तुत किया था, जिसमें यह निवेदन किया कि अपीलान्ट के पक्ष में इंतकाल वसीयत के आधार पर दर्ज किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त वसीयत को निरस्त कराने हेतु दीवानी दावा कर रखा है जिस स्थिति में दावे के निर्णय तक इंतकाल की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्याय संगत है। कानूनन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र गलत तौर पर खारिज कर रेस्पोडेन्ट द्वारा दायर की गयी अपील को गलत तौर पर स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार किये गये इंतकाल को निरस्त किये जाने का केवल मात्र यह आधार दर्ज किया है "नबी खॉ को उक्त आराजी विरासत से प्राप्त होने के कारण उसकी वसीयत करने का अधिकार नहीं था। अपीलान्ट का उक्त आराजी में जन्म से ही अधिकार होने के कारण इंतकाल संख्या 114 स्वीकार दिनांक 05.11.2014 अपास्त योग्य पाया जाता है।" अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष कानून के अनुरुप नहीं है, जिस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर का निर्णय दिनांक 28.03.2022 निरस्त फरमाया जावे और इन्तकाल संख्या 114 दिनांक 05.11.2014 वाके ग्राम बाझडा तहसील तिजारा, जिला अलवर बदस्तूर बहाल रखा जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि इन्तकाल संख्या 114 दर्ज दिनांक 02.02.2013 व स्वीकार दिनांक 05.11.2014 को मृतक नबी खॉ पुत्र श्री घमण्डी के वसीयत का नामान्तकरण दर्ज करते वक्त हल्का पटवारी द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से गलत दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 मृतक नबीखॉ की इकलौती पुत्री है। इसके अलावा अन्य कोई वारिसान मृतक नबीखॉ के नहीं है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 अपने पिता नबीखॉ के जीवनकाल में ही विवादित इंतकाल संख्या 114 में दर्ज आराजी पर काबिज व दाखिल रही है तथा आज भी काबिज व दाखिल होकर उपयोग–उपभोग करती आ रही है। हाल अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट नं. 1 के ताउ मेहता का पुत्र है। विवादित इंतकाल में दर्ज आराजी रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पिता को अपने पूर्वजों से विरासत से मिली है तथा विवादित इंतकाल में दर्ज आराजी पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 के कानूनन हक व अधिकार निहित है। जिसने रेस्पोडेन्ट नं. 1 के हकूकों को खत्म करने की गरज से फर्जी वसीयत तैयार कर तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पिता के मरने के बाद बाला–बाला हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से मिलीभगत कर फर्जी वसीयत के आधार पर विवादित इंतकाल संख्या 114 अपने नाम दर्ज व स्वीकार करा लिया, जो विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित कर दिया तथा मुस्लिम लॉ के तहत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी जायदाद की स्वेच्छा से वसीयत नहीं कर सकता है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का उक्त आदेश गलत एवं विधि विरूद्ध है, जो काबिल अपास्त है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 जो कि नबीखॉ की इकलौती जायज व विधिक वारिसा है।

उक्त विवादित इंतकाल ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है, जो विधि एवं तथ्यों के विपरित है हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व हल्का पटवारी द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 को ना तो कोई सूचना दी गई और ना ही कोई नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, ना ही रेस्पोडेन्ट नं. 1 को सुनवाई का कोई अवसर दिया और एकपक्षीय रूप से हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने हाल अपीलान्ट से साज–बाज होकर उसके पक्ष में स्वीकार किया है जो विधि के विरूद्ध है। इसलिए उक्त इंतकाल संख्या 114 दर्ज दिनांक 02.02.2013 व स्वीकार दिनांक 05.11.2014 खारिज योग्य है। मृतक नबीखॉ को विरासत से मिली आराजी में रेस्पोडेन्ट नं. 1 का सम्पूर्ण भाग पर हक व अधिकार निहित है क्योंकि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट नं. 1 के अलावा अन्य कोई विधिक एवं जायज वारिसा मृतक नबीखां के नहीं है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 के विवादित इंतकाल में दर्ज समस्त आराजी पर हक हकूक निहित है और मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त है। ग्राम पंचायत का उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2022 द्वारा अपील स्वीकार कर पूर्व में निर्णित इन्तकाल संख्या 114 निर्णय दिनांक 05.11.2024 वाके ग्राम बाझड़ा, ग्राम पंचायत ग्वालदा निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट तहसीलदार टपूकडा को रिमाण्ड कर आदेशित किया गया कि प्रकरण में नबी खां को आराजी विरासत में प्राप्त हुई है एवं विधिक वारिसान की जांच की जाकर विधि सम्मत निर्णय किये जाने के आदेश पारित किये गये। अतः उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों एवं समस्त दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील को मियाद अन्दर माने जाने एवं अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को खारिज किये जाने को कानून अनुरूप नहीं मानकर निरस्त किये जाने योग्य माना है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर में प्रस्तुत अपने जवाब में अपीलार्थी का यह कथन है कि वसीयतकर्ता नबी खां ने दिनांक 22.02.2001 को राजी खुशी अपनी स्वयं की पैदाकर्ता जायदाद की रजिस्टर्ड वसीयत अपीलार्थी बशीर के हक में की है, जबकि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपनी अपील में यह कहा कि अपीलार्थी मृतक नबी खां की इकलौती पुत्री है, इसके अलावा अन्य कोई वारिसान मृतक नबी खां के नहीं है। बशीर, सरीफन के ताउ मेहता का पुत्र है। विवादित आराजी नबी खां को अपने पूर्वजों से मिली थी, जिस पर सरीफन का कानूनन हक एवं अधिकार निहित है, जिसे फर्जी वसीयत के आधार पर बशीर ने इन्तकाल संख्या 114 में अपने नाम दर्ज और स्वीकार करा लिया। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय का प्रमुख बिन्दु यही था कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है अथवा स्वअर्जित एवं इस आधार पर खोला गया नामान्तकरण सही है अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रिकार्ड के आधार पर यह निर्णित किया कि नबी खां को उक्त आराजी विरासत से प्राप्त होने के कारण उसको वसीयत का अधिकार ही नहीं था तथा अपीलार्थी ही कानूनन उस सम्पत्ति की उत्तराधिकारी है। अतः इन्तकाल संख्या 114 दिनांक 05.11.2014 अपास्त योग्य है। उपरोक्त निर्णय दोनों पक्षों की पूर्ण सुनवाई कर रिकार्ड के आधार पर किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा दिनांक 28.03.2022 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 21.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर